आयोजनागत

प्रेषक,

संख्या–542/XXIV(8)/2006–39/2006

राजेन्द्र सिंह,
उप सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

प्राचार्य,
जी0बी0 पन्त इंजीनियरिंग कालेज,
घुड़दौड़ी – पौड़ी।

शिक्षा अनुभाग–8 (तकनीकी)

देहरादून दिनांक 05 जुलाई,2006

विषयः– **जी.बी. पन्त इंजीनियरिंग कालेज घुड़दौड़ी में श्रेणी चार के 16 आवासीय भवनों में सुरक्षा की दृष्टि से रिटेनिंगवाल व ग्रिल लगाने का कार्य के संबंध में।**

महोदय,

उपयुक्त विषयक आपके पत्रांक –1320/प्रा.का./2006 दिनांक 7.4.2006 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदय जी.बी. पन्त इंजीनियरिंग कालेज घुड़दौड़ी में श्रेणी चार के 16 आवासीय भवनों में सुरक्षा की दृष्टि से रिटेनिंगवाल व ग्रिल लगाने हेतु उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम कालेज इकाई पौड़ी द्वारा गठित आगणन के सापेक्ष रू0 7.00 लाख (रूपये सात लाख मात्र) के आगणन पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए, इस वित्तीय वर्ष 2006–07 में रू0 7.00 लाख (रूपये सात लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते है।

2– आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें शिडयूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं है अथवा बाजार भाव से ली गयी है, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

3– कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन /मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी,बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय।

4– कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना कि स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

5– एक मुश्त प्राविधान में कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

6– कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्य को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

7– कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली–भांति निरीक्षण उच्च अधिकारियों एवं भूगर्भवेत्ता के साथ अवश्य करा लें। निरीक्षण के पश्चात स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जायें।

8– आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृति की गयी है, उसी मद पर व्यय किया जाए। एक मद की राशि का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

9– निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टैस्टिंग करा ली जाय, तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग लाया जाए।

10– जी.पी. डब्ल्यू फार्म–9 की शर्तों के अनुसार निर्माण इकाई को कार्य सम्पादित करना होगा तथा समय से कार्य को पूर्ण न करने पर 10 प्रतिशत की दर से आंगणन की कुल लागत का निर्माण इकाई से दण्ड वसूल किया जायेगा।

11– किसी भी कार्यालय/संस्थाओं के निर्माण को विस्तृत आंगणन गठित करते समय स्वीकृत ज्ञातव्य एवं नार्म्स के अनुसार गठित किया जाय तथा उसकी सूचना प्रशासनिक विभाग को भी दें।

12– यदि स्वीकृत धनराशि में स्थल विकास कार्य सम्भव न हो, तो कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आंगणन मानचित्र गठित कर शासन से स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, स्वीकृति राशि से अधिक कदापि न किया जाय।

13– संस्था को अनुदानित धनराशि का भुगतान जिलाधिकारी पौडी द्वारा बिल प्रतिहस्ताक्षरित किये जाने के उपरान्त कोषाधिकारी पौडी द्वारा सीधे आपको कर दिया जायेगा। संबंधित कोषागार बीजक एवं दिनांक की सूचना निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उत्तरांचल तथा शासन को तत्काल भेजी जाय।

14– इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2006–07 के अनुदान संख्या –11 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक – 2203 – तकनीकी शिक्षा – आयोजनागत – 00 – 112 – इंजीनियरी / तकनीकी कालेज तथा संस्थान –05– इंजीनियरिंग कालेज घुडदौड़ी (पौड़ी)–00–20– सहायक अनुदान/ अंशदान/ राजसहायता के नामे डाला जायेगा।

15– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–358/वि0 अनु0–3/2006 दिनांक 30.6.2006 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(राजेन्द्र सिंह)
उप सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. महालेखाकार उत्तरांचल देहरादून।
2. निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उत्तरांचल।
3. जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, पौड़ी।
4. परियोजना प्रबन्धक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम, पौड़ी।
5. वित्त अनुभाग–3/ नियोजन अनुभाग।
6. आयुक्त गढ़वाल मण्डल, पौडी।
7. राष्ट्रीय सूचना केन्द्र सचिवालय परिसर, देहरादून।
8. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन, सचिवालय देहरादून।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(संजीव कुमार शर्मा)
अनु सचिव।